नये कर प्रस्ताव

- चिकित्सा सेवाओं में वांछित **ऑक्सिजन** को कर मुक्त किया जायेगा।
- राज्य में अगरबत्ती से संबंधित कुटीर उद्योग को राहत पहुँचाने के दृष्टिकोण से **नन–इन्सेन्स अगरबत्ती** को **कर मुक्त** किया जायेगा।
- **नारियल** के धार्मिक महत्व को देखते हुए इसे **कर मुक्त** किया जाएगा।
- निम्न आय वर्ग को राहत पहुँचाने एवं खाद्यान्न के छोटे व्यवसायियों को कॉम्प्लाऐन्स के भार में कमी लाने के उद्देश्य से **कुर्थी**, **मटर** तथा **राजमा** को **कर मुक्त** किया जायेगा।
- **पेशा कर** का भुगतान करने वाले ऐसे सभी करदाता जो वेतन से भिन्न मद् में आय प्राप्त करते हैं को **विवरणी दाखिल करने की बाध्यता** से **मुक्त** किया जायेगा।
- कतिपय वस्तुओं के मामले में **समाहितीकरण की राशि अग्रिम के रूप में जमा** कराये जाने संबंधी प्रावधान बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में किए जाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है जिससे इन वस्तुओं के करदाताओं को कर भुगतान एवं मालों के आयात में सुविधा होगी।
- सभी प्रकार के **फर्नीचर**, **लिफ्ट** तथा **ऐलिभेटर** एवं **बैटरी** तथा **बैटरी** चार्जर पर **प्रवेश कर** अधिरोपित किया जा रहा है ताकि इन वस्तुओं का व्यवसाय राज्य में निबंधित व्यवसायियों के माध्यम से होने में सुविधा हो।
- दाखिल किए गए **विवरणियों की कम्प्यूटरीकृत स्क्रुटनी** की व्यवस्था की जा रही है ताकि विभाग पर प्रशासनिक भार कम हो एवं व्यवसायियों को परेशानियों से बचाया जा सके।
- **हस्त निर्मित साबुन, नॉन–स्टिक कुकवेयर**, **मच्छर भगाने वाले टिकिये** तथा **लिक्विड**, **ग्लास**, **फर्स** तथा **दीवार क्लिनर का वर्गीकरण** वैज्ञानिक बनाया जा रहा है ताकि उनके कर दरों में आने वाले विवाद को समाप्त किया जा सके।
- **ट्रांसमिशन टावर**, **ट्रांसफॉरमर** तथा **यू०पी०एस०** पर कर की दर बढ़ा कर **13.5 प्रतिशत** की जा रही है।
- **बीड़ी** एवं बीड़ी के निर्माण में प्रयुक्त होनेवाले **अविनिर्मित तम्बाकू** पर 13.5 प्रतिशत की दर तथा शेष **तम्बाकू उत्पादों** पर **20** प्रतिशत को बढ़ाकर **30** प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित किया जाने का प्रस्ताव है।
- देशी तथा विदेशी शराब पर अधिभार(surcharge) अधिरोपण की व्यवस्था की जा रही है।
- सिमेंट पोल की दर को सुसंगत बनाया जाएगा ताकि राज्य के उद्यमी अन्य राज्यों से स्पर्धा कर सकें।